पैन कार्ड खो जाए तो ऑनलाईन कॉपी ऐसे हासिल करें

अगर आपका पैनकार्ड खो गया है तो उसकी ऑनलाइन कॉपी निकाली जा सकती है। इसके लिए आपको tin.tin.nsdl.com/pan/correction पर लॉग ऑन कर पैन चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा। पुराने पैन कार्ड में बिना कोई बदलाव किए कार्ड री-इशू कराने के लिए फॉर्म को पूरी तरह से भरें, लेकिन फॉर्म के बाएं तरफ मार्जिन में किसी भी बॉक्स पर टिक न करें।

अगर कम्यूनिकेशन एड्रेस भारत का है तो 105 रूपए जमा करने होंगे। वहीं, अगर पता भारत से बाहर का है तो 971 रूपए देने होगे। यह फीस डिमांड ड्राफ्ट, चैक, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए जमा करवाए जा सकते हैं। भुगतान करने के बाद इसकी रसीद स्क्रीन नजर आएगी। आपको इस सेव कर इसका प्रिंट लेना होगा। इस पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर फोटो पर ही क्रॉस हस्ताक्षर करने होंगे।